

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.19(04)शिक्षा-2/2019 दिनांक 15/10/2020 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थानों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः सम्बन्धित सभी नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त कार्मिकों को पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्त पर पद	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
<b>बांसवाड़ा</b>				
01.	श्री भेरिया व.अ.	राउमावि. पृथ्वीपुरा, पीपलखूंट, प्रतापगढ़	व्याख्याता हिन्दी अनिवार्य	ईएमआरएस चुडादा, कुशलगढ, बांसवाडा
02.	श्रीमती किरण बाला बरगोट व.अ.	राउमावि रूजिया घाटोल, बांसवाडा	व्याख्याता रसायन विज्ञान	आवासीय विद्यालय हरेंग जी का खेडा
03.	श्री ऋषभदेव व.अ.	राउमावि घंटाली, प्रतापगढ़	व्याख्याता जीव विज्ञान	आवासीय विद्यालय हरेंग जी का खेडा
04.	श्री मणीलाल पारगी व.अ.	राउमावि आसोडा गढी, बांसवाडा	व्याख्याता हिन्दी अनिवार्य	ईएमआरएस पाडोला
05.	श्री सुभाष खराड़ी व.अ.	रा.उ.मा.वि. हाण्डी, गांगडतलाई, बांसवाड़ा	व्याख्याता रसायन विज्ञान	ईएमआरएस आनन्दपुरी
<b>प्रतापगढ़</b>				
01.	श्री रमेश चन्द्र तेली व.अ.	राउमावि हिंगलाट	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	ईएमआरएस टीमरवा

- नोट:-
- उपरोक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
  - उपरोक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक का राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनोपरान्त पदस्थापन कर दिया गया है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
  - उपरोक्त कार्मिकों के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण में नगर निगम चुनाव, 2020 की आदर्श आचार संहिता की पालना किया जावे।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020/09 दिनांक: 16.10.2020  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्रांक: प.19(04)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 15/10/2020 के क्रम में।
- आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), संभाग मुख्यालय।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
- संबंधित मुख्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)